आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार–विविध विविध वाद 03/2016–17 राज्य बनाम् ब्रहमदेव दास

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
18.07.2017	**आदेश** यह आवश्यक वस्तु अधिनियम अधिग्रहण वाद सं0 03/2016–17 अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के प्रतिवेदन पत्रांक 1716 दिनांक 21.10.2016 के आलोक में प्रारंभ किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, परबत्ता के पत्रांक 158 दिनांक 15.10.2016 के द्वारा मड़ैया थाना कांड संख्या 2331/2016 दिनांक 02.10.2016 धारा 7 ई0सी0 के तहत् जप्त कर मड़ैया थाना में रखे गये दो बोरा अरवा चावल (लगभग 50 किलो ग्राम प्रति बोरा) अधिग्रहण करने का अनुशंसा किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि मो0 शहजहाँ आलम, पे0 मसीर साह, साकिन मड़ैया, थाना–परबत्ता (मड़ैया) जिला खगड़िया द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता ब्रहमदेव दास साकिन–वैसा के दुकान से मोटर साइकिल पर लाद कर (दो कटा चावल) 02 (दो) वोरा अरवा चावल प्लास्टिक के बोरा में कालाबारी हेतु ले जाया जा रहा था, जिसे जप्त किया गया तथा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, परबत्ता द्वारा दिनांक 02.10.2016 को ब्रहमदेव दास जन वितरण प्रणाली विक्रेता, साकिन वैसा, थाना–मड़ैया, जिला–खगड़िया के विरूद्ध कालाबजारी के आरोप में मड़ैया थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी। उक्त के आलोक में अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारंभ की गयी तथा विपक्षी को कारण पृच्छा नोटिस निर्गत की गयी कि क्यों नहीं उक्त के आलोक में 02 (दो) बोरा अरवा चावल सरकार के पक्ष में अधिग्रहित कर लिया जाए। जप्ती की अवस्था में उक्त अरवा चावल खराब हो सकता था। इसलिए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, परबत्ता को आदेश दिया गया कि जप्त अरवा चावल को खुले बाजार में निलाम करें एवं उससे प्राप्त राशि प्रखंड नजारत परबत्ता में जाम कर अनुपालन प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित करें। विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपना तर्क प्रस्तुत करते	

हुए बताया गया कि पकड़े गये 02 (दो) बोरा अरवा चावल कालाबाजारी हेतु ले जाया जा रहा था तथा प्रतिवादी द्वारा इस संबंध में स्वयं या अधिवक्ता में माध्यम से कुछ नहीं कहा गया है या कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त जप्त चावल अधिग्रहण योग्य है।

अतः उपरोक्त तथ्यों तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि मो० शाहजहाँ आलम, पे० मो० मसीर साह, साकिन मड़ैया, थाना–परवत्ता (मड़ैया) द्वारा मोटर साईकिल पर लाद कर दो कट्टा (दो बोरा 50–50 किलो का) अरवा चावल प्लास्टिक के बोरा में ले जाया जा रहा था वह जनवितरण प्रणाली बिक्रेता ब्रहदेव दास साकिन बैसा के दुकान से कालाबजारी हेतु ले जाया जा रहा था। अतः उक्त जप्त चावल अधिग्रहण योग्य है। अतः जप्त चावल को अधिग्रहित किया जाता है। चूँकि मामला न्यायालय में चल रहा है अतएव इस स्तर पर इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

जप्त अरवा चावल को खुले बाजार में नीलामी से प्राप्त राशि को प्रखंड नजारत, परबत्ता में जाम करने संबंधी प्रतिवेदन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, परबत्ता से अप्राप्त है। इसलिए आदेश दिया जात है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, परबत्ता द्वारा दो बोरा अरवा चावल की खुले बाजार में निलामी से प्राप्त राशि प्रखंड नजारत, परबत्ता में जमा कराने संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त कर अभिलेखबद्ध करें तथा संबंधित प्रतिवेदन संबंधित न्यायालय को भी उपलब्ध करा दिया जाय।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
खगड़िया।

समाहर्त्ता,
खगड़िया।